सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 21 माघ, 1947 (श०) / 10 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 176

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	78
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	03
(3)	कला एवं संस्कृति विभाग	..	..	06
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	05
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	07
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	03
(7)	परिवहन विभाग	..	..	10
(8)	खेल विभाग	..	..	20
(9)	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	04
(10)	उच्च शिक्षा विभाग	..	..	32
(11)	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	..	..	04
(12)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	04
			कुल योग --	176

खेल मैदान बनाना

*419. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड में खेल मैदान (स्टेडियम) नहीं है, जिसके कारण सैकड़ों युवक पुलिस भर्ती हेतु सड़क पर दौड़ने का अभ्यास करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कोचस प्रखंड में खेल मैदान (स्टेडियम) बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*420. श्री मौशंरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्र के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, वार्ड-11 पुरनाही तथा प्राथमिक विद्यालय, पुरन्दाही, शिवाजीनगर विद्यालय में भवन निर्माण नहीं होने से कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*421. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों में से जिन 360 प्रखंडों में पहले से डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ एक-एक डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुसेपुर एवं बसंतपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसन्तपुर डिग्री कॉलेज हेतु सारे मानक अर्हता को पूर्ण करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित स्थानों में से किसी एक स्थान पर डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*422. श्री अरूण माँझी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सम्पतचक नगर परिषद् अन्तर्गत वार्ड संख्या 14 में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भोगीपुर में स्कूल भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने हेतु अक्टूबर, 2023 में विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त विद्यालय भवन का निर्माण नहीं होने से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे सैकड़ों छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भोगीपुर का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस बल की तैनाती

*423. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव विधान सभा क्षेत्र की सीमा झारखंड राज्य से सटी होने के कारण एवं पर्याप्त पुलिस बल व विशेष चौकसी के अभाव में झारखंड से बिहार में भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यही स्थिति उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से सटी बिहार की सीमाओं पर भी है, जिससे राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहलगाँव सहित राज्य के सभी सीमावर्ती इलाकों में 'ड्रोन सर्विलांस' एवं विभागीय अत्याधुनिक 'विशेष सीमा जाँच चौकी' (बॉर्डर चेक पोस्ट) स्थापित कर अतिरिक्त आबकारी पुलिस बल की तैनाती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*424. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी (क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय, खोदागंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा के ज्ञापांक 12881, दिनांक 16 जुलाई, 2024 द्वारा अस्थायी रूप से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य के पश्चात् विद्यालय विकास कोष में मात्र 27,86,100 रुपये का प्रभार दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 6 अप्रील, 2024 तक उक्त विद्यालय कोष में से कुल जमा राशि अंके 55,79,890/- मात्र में से 27,96,729/- बिना प्रबंध समिति या जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बगैर खर्च कर दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अनियमित व्यय की जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय में भवन निर्माण कराना

*425. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत तातपोआ पंचायत के नया प्राथमिक विद्यालय, झांटीबाड़ी में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उपलब्ध भूमि पर उक्त प्राथमिक विद्यालय भवन का कबतक निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति

*426. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार राज्य में मध्य विद्यालय, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या लगभग 38116 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक (पी0टी0आई0) की नियुक्ति करना अनिवार्य है, जबकि शारीरिक शिक्षक (पी0टी0आई0) की नियुक्ति मात्र लगभग 6320 हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष विद्यालयों में रिक्त शारीरिक शिक्षक (पी0टी0आई0) की बहाली कराने की विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा का परिचालन

*427. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड-छौड़ादानों एवं बंजरिया प्रखंड तथा फुलवार बाजार तक पूर्व में राज्य परिवहन निगम की बसें चलती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंजरिया एवं छौड़ादानों प्रखंड एवं फुलवार बाजार (जो नेपाल सीमा के पास अवस्थित है) की आमजनता को जिला मुख्यालय, राजधानी पटना एवं अन्य जगहों पर आवागमन में अधिक समय एवं काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फुलवार/छौड़ादानों एवं बंजरिया तक राज्य परिवहन की बसों का संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय की स्थापना

*428. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किसी भी प्रखंड में राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सहायता राशि बढ़ाना

*429. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में BPL परिवारों जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हैं, उनको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल कन्या विवाह को रोकना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कन्या विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*430. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023 में DPMU (District Project Manager, Programmer, Accounting Expert, Account Assistant) एवं BPMU (BPM, BRP, Account Assistant, Operator, MTS) का गठन किया गया था और संबंधित कम्पनी के साथ 3 + 2 वर्ष का समझौता था परन्तु बिना किसी ठोस कारण के केवल 18 महीनों में ही पूरे सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि DPMU और BPMU में कार्यरत लगभग 5000 कर्मचारियों को अचानक बेरोजगार कर दिया गया और फिर से प्रखंड और जिलास्तर पर नई मैनपॉवर के लिए निविदा जारी किया, जिसे "Block ICT Coordinator" और "E-Shikshakosh Cell (District Implementation Lead, Data Analyst, Assistant Data Analyst, Computer Operator)" जैसे नये नाम देकर भर्ती भी की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पहले से कार्यरत और अनुभवी DPMU-BPMU कर्मियों को बिना किसी वजह हटाकर नये लोगों को बहाल करने का क्या औचित्य है ?

विद्यालय का निर्माण

*431. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र में प्रखंड काराकाट के नई भूमि नवसृजित विद्यालय को घरवासडीह मध्य विद्यालय में टैग कर दिया गया है, जिससे छोटे-छोटे बच्चों को घरवासडीह आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नई भूमि में पहले से निर्मित सामुदायिक भवन जमींनदोज हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवन की जमीन पर नवसृजित विद्यालय का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*432. श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौली एवं गुठनी प्रखंड में स्टेडियम नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को नियमित अभ्यास का अवसर नहीं मिलने से जिलास्तर एवं राज्यस्तर पर खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में एक-एक स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई शुरू करवाना

*433. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारसलीगंज विधान सभा के एकमात्र सरकारी महाविद्यालय एस0 एन0 सिन्हा महाविद्यालय, वारसलीगंज सहित नवादा जिला के किसी भी सरकारी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विज्ञान एवं कला की पढ़ाई नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वारसलीगंज विधान सभा सहित नवादा जिला के छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर विज्ञान एवं कला की पढ़ाई के लिये जिले से बाहर गयाजी एवं अन्य जिलों में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस0 एन0 सिन्हा महाविद्यालय, वारसलीगंज में स्नातकोत्तर विज्ञान एवं कला की पढ़ाई शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*434. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड-दनियावाँ के तरौरा ग्राम में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण वहाँ के छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, तरौरा को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*435. मो0 तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज नगर पंचायत में स्थित बहादुर महाविद्यालय में समिति का गठन विगत 3 वर्षों से नहीं किया गया और महाविद्यालय की जमीन (3 एकड़ जमीन) कॉलेज प्रशासन और भू-माफिया द्वारा मिलीभगत से अतिक्रमण किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में समिति का गठन एवं अतिक्रमित जमीन को भू-माफिया से मुक्त कराने के लिए कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*436. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत स्व0 विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय में लगभग 20000 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं, परन्तु महाविद्यालय में कुल 13 वर्ग कक्ष ही उपलब्ध हैं, जिनमें से 5 वर्ग कक्षों को भवन निर्माण विभाग द्वारा जर्जर एवं परित्यक्त घोषित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक 15/पी-5-13/22-3644, दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के आलोक में उक्त महाविद्यालय के द्वारा पत्रांक Ref. EST/48/24, दिनांक 5 मार्च, 2024 को 10 नए वर्ग कक्षों के निर्माण एवं 05 कमरे का जीर्णोद्धार का प्राक्कलन ल0ना0मि0वि0, दरभंगा को समर्पित कर उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रांक C/CCDC/9145/24, दिनांक 18 अप्रील, 2024 को अग्रसारित कर निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को समर्पित किया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में 10 नए वर्ग कक्षों का निर्माण एवं 05 कमरों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का प्रावधान

*437. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड सहित राज्य में नील गायों एवं नील बकरी के द्वारा किसानों के लहलहाते फसल को खाकर नष्ट कर दिया जा रहा है जिससे किसानों को भारी क्षति हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के इस समस्या पर विचार करते हुए नील गायों एवं नील बकरी के द्वारा हुये फसल क्षति का पूर्ति हेतु अनुदान का प्रावधान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय निर्माण

*438. श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड अन्तर्गत पंचायत खरसाही के घनहा मुसहरी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 2500 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण वहाँ के बच्चे 3 किलो मीटर दूर जाकर पढ़ते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रानीगंज प्रखंड अन्तर्गत पंचायत खरसाही के घनहा मुसहरी ग्राम में जमीन अधिग्रहण कर विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कन्या उच्च विद्यालय खोलना

*439. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां प्रखंड में कन्या उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चियों को शिक्षा में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बोचहां में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*440. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा अंचलान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी में चौपाल टोला, वार्ड संख्या 2 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 23, ग्राम पंचायत के उप-मुखिया के हस्ताक्षर से संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर सेविका का चयन कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी निर्माण कराना

*441. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसौनी खेम कुरिया में लगभग 350 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं एवं मात्र दो कमरे हैं, जिससे पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय परिसर का चहारदीवारी नहीं होने से परिसर होकर गाड़ियों का आवागमन लगातार होते रहता है, जिससे किसी भी समय बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट सकती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय में भवन निर्माण के साथ चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय प्रभारी बनाना

*442. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश संख्या 4206, दिनांक 22 नवम्बर, 2025 द्वारा प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक (मरणशील संवर्ग) को सभी कोटि के शिक्षकों से वरीय माना गया है एवं अधिसूचना संख्या 441, दिनांक 21 मार्च, 2018 के तहत मरणशील संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति स्नातक शिक्षक के पद पर होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रा० शि० के पत्रांक 4548, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 में इन वरीय शिक्षकों को प्रोन्नति से स्नातक शिक्षक की जगह प्रधान शिक्षक बनने का जिक्र कर कम वेतनमान वाले प्रधान शिक्षक के अधीन कार्य करने को विवश कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वरीय शिक्षकों के पदस्थापना वाले विद्यालयों से प्रधान शिक्षक को स्थानांतरित कर उन्हें विद्यालय प्रभारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा चालू कराना

*443. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर तथा बारूण प्रखंड मुख्यालय से रात्रि सरकारी बस सेवा नहीं होने के कारण जनता को राजधानी पटना आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवीनगर और बारूण से सरकारी रात्रि बस सेवा शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बारूण प्रखंड मुख्यालय से पटना मार्ग अधिसूचित नहीं है।

औरंगाबाद-पटना मार्ग पर निगम/निगम नियंत्रणाधीन बसों का परिचालन किया जा रहा है ।

लोक निजी भागीदारी योजनान्तर्गत नवीनगर-पटना मार्ग पर वाहन परिचालन हेतु वाहन स्वामी के साथ अनुबंध किया गया है । उक्त मार्ग पर 2 वाहनों के परमिट की स्वीकृति हेतु RTA, गयाजी में आवेदन समर्पित किया गया है ।

खेल मैदान का निर्माण

*444. श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर प्रखंड के पंचायत-खरहना के ग्राम-सिताबपुर में खेल मैदान अवस्थित नहीं है, जिससे ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा बाधित होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम के दुर्गा मंदिर स्थित खेल मैदान का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टर्फ मैदान का संरक्षण

*445. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर नगर परिषद् स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम के समीप दक्षिण भाग में खेल का बढ़ावा देने हेतु उत्तर बिहार का पहला टर्फ मैदान (240 फीट X 100 फीट क्षेत्र में) का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके समुचित रख-रखाव एवं संरक्षण के अभाव में विकसित संरचना का क्षरण एवं उपयोगिता में ह्रास होगी जो खिलाड़ियों के हित में नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर में ललित कर्पूरी के समीप बने टर्फ मैदान का अनुरक्षण एवं रख-रखाव करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*446. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि फल्गु नदी में वैध एवं अवैध खनन होने से नदी की गहराई अत्यधिक हो गई है, जिससे शाखा नहर की ऊँचाई अधिक हो गई है, जिसके कारण लाखों किसानों का पटवन प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही वैध खनन करने वालों को भी निविदा शर्तों के अनुरूप खनन करने का निर्देश देने हेतु उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । समाहर्ता गया के पत्रांक 456, दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि गया जिलान्तर्गत फल्गु नदी में वर्तमान में एक बालूघाट संचालित है । बालूघाट से खनन कार्य नियमानुकूल किया जा रहा है । सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमित रूप से बालूघाट का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तथा विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है । जहां तक फल्गु नदी में अवैध खनन होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में कहना है कि जिलास्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी कर अवैध खनिकर्म में संलिप्त व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाती है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत फल्गु नदी के तटीय क्षेत्र में विभिन्न तिथियों में छापेमारी कराते हुये अवैध खनिकर्म में संलिप्त 48 वाहनों, 53 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करायी गई है तथा 01 व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है । साथ ही छापामारी के क्रम में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में जप्त वाहनों, उत्खनित खनिज एवं अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध 303.60 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है ।

सक्षमता परीक्षा

*447. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 अधिसूचित होने के बाद शिक्षक संघ की आपत्ति पर विभाग द्वारा दो वर्षों के अन्दर तीन ऑनलाइन एवं दो ऑफलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बी०एस०ई०बी० के विज्ञप्ति में नियोजित शिक्षकों के लिये अंतिम सक्षमता परीक्षा-5 भी ऑनलाइन मोड में लिये जाने के कारण अभी भी 75000 से अधिक शिक्षक परीक्षा फार्म नहीं भर पाये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 55-58 वर्ष उम्र के नियोजित शिक्षकों को ध्यान में रखकर अंतिम सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 05 अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान है । उक्त के आलोक में ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है । ऑफलाइन मोड में परीक्षा लिये जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

कार्यालय की स्थापना

*448. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड जिले का ग्रामीण इलाकों में बसा सबसे बड़ा प्रखंड है, जिसमें निबंधन कार्यालय नहीं होने से निबंधन संबंधित कार्यों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कल्याणपुर प्रखंड में निबंधन कार्यालय की स्थापना कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रस्तावित निबंधन कार्यालय में न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन गत तीन वर्ष के औसत दस्तावेज पर संभावित हो । परंतु विगत तीन वर्षों (वर्ष 2023 में निबंधित दस्तावेज-4393, वर्ष 2024 में निबंधित दस्तावेज-5458, वर्ष 2025 में निबंधित दस्तावेज का औसत 4808, ही है । अत: निर्धारित मामदंड को पूरा नहीं करता है ।

विभीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रखंड मुख्यालय में नया निबंधन कार्यालय खोला जाना है तो प्रस्तावित निबंधन कार्यालय से 15 कि०मी० की दूरी दूसरा निबंधन कार्यालय नहीं होना चाहिये । लेकिन 14 कि०मी० की दूरी पर अवर निबंधन कार्यालय, चकिया कार्यरत है । अत: निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करता है ।

निर्धारित विभागीय मापदंड की अर्हता पूर्ण नहीं होने के कारण कल्याणपुर प्रखंड में नये अवर निबंधन कार्यालय का सृजन किया जाना विचाराधीन नहीं है ।

वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण

*449. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड अंतर्गत खड़तरी पश्चिमी पंचायत में स्थित+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटजिलवा में भवन एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटजिलवा में भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*450. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद् में अवस्थित जगन्नाथन 10+2 हाईस्कूल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण

*451. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतला में माह जून, 1889 में स्वामी विवेकानन्द जी स्वास्थ्य लाभ के लिये अपने एक निकटस्थ के आवास ''स्वाथो कोठी'' में ठहरे थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उक्त आवास सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला के परिसीमा (प्रांगण) के अंदर अवस्थित है, जो राज्य के लिये एक ऐतिहासिक धरोहर तुल्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित एवं समवद्धित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फसलों को बचाना

*452. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नारायणपुर बिहपुर एवं खरीक प्रखंड में नीलगाय एवं अन्य जंगली जानवरों के द्वारा आमजनों की जान-माल की क्षति के साथ किसानों के फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में नीलगाय एवं जंगली जानवरों से जनमानस एवं किसानों के फसलों को बचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ;

स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराना

*453. श्री कृष्ण कुमार ऋषि-- (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी) (अ०जा०))-क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी अनुमंडल में अवस्थित सुमेरित उच्च विद्यालय, बनमनखी एवं ठाकुर उच्च विद्यालय, जानकीनगर में वर्षों पूर्व सरकार द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों स्टेडियम पर जिलास्तरीय खेल का आयोजन किया जाता था, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण उक्त स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच गया है, जिससे यहां खेलों का आयोजन लगभग बंद हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेल एवं खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिये उक्त दोनों स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नवनिर्माण

*454. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत वर्ष-1965 में निर्मित +2 राजकीयकृत ईश्वरी उच्च विद्यालय, टभका में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या-519 है एवं वर्गकक्ष सिर्फ चार है, जो खपरैल का है, जबकि विद्यालय का अपना भूमि 5 बीघा, 18 कट्ठा उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय निर्माण काल से ही खपरैल भवन में चल रहा है, जिसकी स्थित जर्जर एवं बरसात में पानी टपकता है, जिसके कारण कभी भी कोई घटना घट सकती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिरिक्त वर्गकक्ष के साथ उक्त विद्यालय को नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का जीर्णोद्धार कराना

*455. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत रामपुर महेश पंचायत में वर्ष 2019 में जल-जीवन हरियाली पार्क का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण देख-रेख के अभाव में उक्त पार्क की स्थिति दयनीय हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पार्क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*456. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर प्रखंड में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*457. श्रीमती करिश्मा (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 से कक्षा 11 और 12 के लिए विज्ञान संकाय के शिक्षकों की नियुक्ति हाई स्कूल परसा, प्रखंड-परसा, जिला-सारण में नहीं हुई है, जिसके कारण वर्ष 2010 से ही विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के प्रयोगशाला प्रयोगों और शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान संकाय के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बी0एड0 कॉलेज की स्थापना

*458. मो0 सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में एक भी सरकारी बी0एड0 कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में बी0एड0 कॉलेज नहीं रहने से गरीब छात्र-छात्राएं बी0एड0 करने से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक बी0एड0 कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय खोलना

*459. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड नगर परिषद् फुलवारीशरीफ में छात्रों के लिए महिला महाविद्यालय नहीं रहने से छात्रों को पढ़ने के लिए 4 कि0मी0 दूर चितकोहरा जाना पड़ता है, जिससे छात्राओं को आने-जाने में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय नहीं रहने से छात्राएं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है एवं बहुत सारी छात्राएं उच्च शिक्षा से बंचित रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड नगर परिषद् फुलवारीशरीफ में छात्राओं के लिए महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित

*460. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के पंचायत बीसी कला के ग्राम-कोइरिया में मध्य विद्यालय संचालित है, पर एक भी उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण मध्य विद्यालय से पास-आउट बच्चे-बच्चियों को उच्च विद्यालय में पठन-पाठन करने के लिए करीब 10 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि की निकासी

*461. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतीपुर, नौबतपुर (विद्यालय UDIC CODE-10280601905) में प्रबंधन समिति के गठन एवं अध्यक्ष के बिना अनुमति के बिना अवैध तरीके से विद्यालय छात्र कोष से लगभग 5 लाख रुपये विद्यालय प्राचार्य द्वारा निकासी कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*462. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, शिवहर तीनों जिलों के बीच मोतिहारी शहर में एक मात्र श्री कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय 15 फरवरी, 1959 को लगभग दस एकड़ भूमि में स्थापित हुआ, जहाँ तीनों जिलों की छात्राएं होस्टल में रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त करती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री कृष्ण सिंह महिला महाविद्यालय के भवन की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण उच्च शिक्षा हेतु कन्याओं की उपस्थिति कम हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महिला महाविद्यालय के जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 3802, दिनांक 17 अगस्त, 2024 द्वारा अंगीभूत महाविद्यालय के विकास हेतु आवश्यकतानुसार विविध प्रकार के असैनिक निर्माण/जीर्णोद्धार कार्यों के लिए योजनाओं के चयन एवं अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रश्नाधीन महाविद्यालय के संबंध में उक्त समिति से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

डिग्री कॉलेज

*463. श्री नन्द किशोर राम (क्षेत्र संख्या-02 रामनगर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह क्षेत्र आदिवासी (जन-जातीय) बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आस-पास के शहरों में जाना पड़ता है जिसका सीधा असर इनके शिक्षा और विकास पर पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रामनगर में डिग्री कॉलेज बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*464. श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित राजकीय प्रेस मध्य विद्यालय, कंटाही घाट, जार्ज मध्य विद्यालय सहित अन्य भवनहीन एवं भूमिहीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय किसी अन्य भवनयुक्त विद्यालय में संचालित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय को अपनी भूमि चिन्हित कर उस पर अपना भवन बनाने का सरकार की क्या कार्य योजना है ?

कार्रवाई करना

*465. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के मलिकपुर स्थित लक्ष्मीनारायण +2 विद्यालय में परीक्षा हॉल नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अन्य प्रखंडों से परीक्षा देने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे छात्र-छात्राओं को असुविधा के साथ भार भी बढ़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में परीक्षा हॉल कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बी0एड0 कॉलेज खोलना

*466. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया सहित पूर्णियाँ प्रमंडल के सभी जिलों में छात्र-छात्राओं को बी0एड0 की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं रहने के कारण प्रमंडल के गरीब छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्णियाँ प्रमंडल के अररिया जिला में बी0एड0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधाएं प्रदान करना

*467. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नियुक्त शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् भविष्य निधि, पेंशन, संचित अर्जित अवकाश एवं अन्य देय सुविधाएं नही दी जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार इन कर्मियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् भविष्य निधि, पेंशन, संचित अर्जित अवकाश एवं अन्य देय सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

संबंधन देना

*468. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड में स्थित भगवती मंदिर महाविद्यालय, बरारी में स्नातक-विज्ञान संकाय भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर पर संबंधन प्राप्त था, जिसे वर्ष 2014 में समाप्त कर दिया गया है, जबकि उक्त महाविद्यालय सारी अर्हता पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में उक्त विषयों में स्नातक पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक संबंधन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय की स्थापना

*469. श्री रामेश्वर कुमार महतो (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा देने हेतु सभी प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के नानपुर एवं बाजपट्टी प्रखंडों में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के नानपुर एवं बाजपट्टी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराना चाहते है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण

*470. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पारू विधान सभा अंतर्गत सरैया प्रखंड के मारवापाकड़ पंचायत के वार्ड संख्या 3 में आजतक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण उक्त वार्ड के गरीब बच्चों और धात्री महिलाओं को सरकार की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कराने तथा उसके भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निर्माण

*471. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के मौरी पियरपुरा पंचायत के अंतर्गत हाई स्कूल, पियरपुरा गाँव में अवस्थित है जो पंचायत के पूर्वी छोर पर है और यहाँ से मौरी, मौरी बिगहा, रूकुनपुरा और बहादुरपुर गाँव की दूरी लगभग 4 से 6 कि0मी0 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत का मौरी बिगहा गाँव भौगोलिक रूप से पंचायत के बीच में है जहाँ के मध्य विद्यालय का भवन अत्यंत जर्जर और क्षतिग्रसत है और यहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकती है, जबकि मौरी बिगहा गाँव में खाता संख्या 130, प्लॉट नंबर 214 पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के मौरी पियरपुरा पंचायत के मौरी बिगहा गाँव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

*472. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 37 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जबकि केवल 3 महाविद्यालय ही उपलब्ध हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों की संख्या अधिक होने के बावजूद महाविद्यालयों की संख्या कम होने के कारण उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे विशेषकर गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा सीमित महाविद्यालयों के कारण उच्च शिक्षा में नामांकन का दबाव, सीटों की कमी तथा ड्रॉपआउट की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*473. श्री माधव आनन्द (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डौल प्रखंड के सलेमपुर पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सलेमपुर में दो वर्ग कक्ष ही है एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण पठन-पाठन एवं विद्यालय संचालन में विविध व्यवधान एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में पर्याप्त वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार

*474. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुरातत्व निदेशालय के अधिसूचना संख्या 93, दिनांक 11 मई, 2020 के द्वारा मध्य युगीन काल में निर्मित गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया ग्राम में प्राचीनतम ''शिव मंदिर'' को सुरक्षित घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मंदिर के स्थान पर त्रेता काल में प्रभु श्रीराम ने भगवान शिव की अराधना की थी इसी कारण नाथ सम्प्रदाय द्वारा (नागेश्वर नाथ महादेव) मंदिर का निर्माण कराया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक इस मंदिर का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण आवश्यक है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर डुमरिया (गोपालगंज) का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंध समिति का सदस्य बनाना

*475. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ स्थित अयोध्या प्रसाद महिला कॉलेज, जिसका कोड 12030 है, में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शासी निकाय/प्रबंध समिति का स्वरूप निर्धारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रो0 दयानिधि प्रसाद को प्रभारी प्राचार्य-सह-सचिव बनाया गया है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि शासी निकाय/प्रबंध समिति सदस्य के रूप में किसी भी दानदाता को शामिल नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगे के क्या सेवानिवृत्त कर्मी को शासी निकाय/प्रबंध समिति का सदस्य बनाने का प्रावधान है एवं किसी भी दानदाता को सदस्य नहीं बनाये जाने का क्या औचित्य है ?

मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करना

*476. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत बैरियाडीह पंचायत के वार्ड नंबर 8 में राजकीय मध्य विद्यालय, बैरियाडीह संचालित है, जिसमें से पास-आउट बालिकाओं को कक्षा 9 से +2 की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 4 कि0मी0 की दूरी तय करके जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त राजकीय मध्य विद्यालय को 10+2 बालिका विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

*477. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत प्रखंड सुगौली में शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के उतरी सुगाँव पंचायत अंतर्गत बिरलाहा में सरकारी परती जमीन में रोजगार एवं कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सुगौली प्रखंड में चार कुशल युवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना था। राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में एक सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली प्रखंड मोतिहारी अनुमंडल में पड़ता है। मोतिहारी अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी स्थापित है।

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कुल 7 (सात) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संचालित है, जो निम्नवत है :--

क्र0सं0	अनुमंडल का नाम	संस्थान का नाम
1	मोतिहारी सदर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी
2	मोतिहारी सदर	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी
3	अरेराज	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरेराज
4	रक्सौल	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल
5	सिकरहना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकरहना
6	पकड़ीदयाल	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पकड़ीदयाल
7	चकिया	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चकिया

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत स्थापित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त जिला के इच्छुक युवक/युवती व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भवन निर्माण

*478. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखण्ड रूपौली, पंचायत-मतेली खेमचन्द, वार्ड नं० 03 में बिहार सरकार की कुल 1 एकड़ 14 डिसमिल जमीन है, जिसका खाता 501 मौजा-मतेली खेमचन्द अंकित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च माध्यमिक वि०, आझोकोपा को अपना भवन नहीं होने के कारण मध्य विद्यालय, आझोकोपा में पठन-पाठन का कार्य होने के कारण छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर उच्च मा० विद्यालय, आझोकोपा के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*479. श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा-2 के ग्राम देवरिया, पंचायत देवरिया तरूअनवा, उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण की स्वीकृति 14 माह पहले मिल गयी थी, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण भवन निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे छात्र/छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*480. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में खेलकूल को प्रोत्साहन देने के लिये स्टेडियम निर्माण की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् डेहरी में नगर भवन के पीछे स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित स्थल पर इनडोर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*481. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में प्रत्येक वर्ष दानवीर भामा साह की जयंती बड़ें हर्षोल्लास एवं व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाई जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार दानवीर भामा साह की जयंती को राज्य सरकार के संरक्षण में सरकारी महोत्सव का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*482. श्री रामसेवक सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के उचकागांव प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत राज बलेसरा के ग्राम असनन्द टोला में एम०एस०डी०पी० योजना अन्तर्गत नवनिर्मित (10+2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, असनन्द टोला का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया गया है जिसे अभी बने मात्र छः माह हुआ है पर सारा पेन्ट गिर गया तथा उस विद्यालय में पठन-पाठन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई के साथ उक्त विद्यालय में पठन-पाठन आरंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*483. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत MLT College प्रांगण में स्थित विधि महाविद्यालय में वर्ष 2020 से ही नामांकन सहित सभी कार्य ठप है, जिससे कोसी क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राएँ वकालत की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बंद पड़े विधि महाविद्यालय को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई की व्यवस्था

*484. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि जे०पी० विश्वविद्यालय अन्तर्गत कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज में सभी विषयों में स्नातकोत्तर तथा महेन्द्र महिला महाविद्यालय, गोपालगंज में सभी विषयों में स्नातक की पढ़ाई नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों महाविद्यालयों में सभी विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई चालू कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा अपने पत्रांक 224, दिनांक 03 जुलाई, 2025 से निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार को पत्र भेजा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों महाविद्यालय में सभी विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पढ़ाई की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*485. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड भगवानपुर हाट के दक्षिणी साधर सुलतानपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, साधर का भवन नहीं रहने से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आईटीआई की स्थापना

*486. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के चेनारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चेनारी एवं शिवसागर प्रखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नहीं रहने के कारण स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में आईटीआई की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना था। राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना की गयी है।

उल्लेखनीय है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी एवं शिवसागर प्रखण्ड सासाराम अनुमंडल में पड़ता है। सासाराम अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम एवं जिला मुख्यालय में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम स्थापित है।

रोहतास जिलान्तर्गत कुल 5 (पाँच) सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जो निम्नवत है:--

क्र०	संस्थान का नाम	अनुमंडल का नाम
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डेहरी	डेहरी
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी	बिक्रमगंज
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम	सासाराम
4	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम	जिला मुख्यालय
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तुम्बा, (LWE) रोहतास	सासाराम

उपर्युक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम अनुमंडल के चेनारी एवं शिवसागर प्रखंड सहित सभी प्रखंडों के चयनित युवक/युवती तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त रोहतास जिलान्तर्गत कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भुगतान करना

*487. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि कौमुदी महोत्सव, 2025 का आयोजन जिला प्रशासन, पटना द्वारा किया गया है जिसमें कलाकारों का चयन जिला प्रशासन, पटना द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महोत्सव में चयनित कलाकारों का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कौमुदी महोत्सव, 2025 में चयनित कलाकारों का भुगतान करते हुये भुगतान में विलंब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*488. श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत डी०एन० कॉलेज, मसौढ़ी में विभागीय निर्देशों एवं शासी निकाय के निर्णय के विरुद्ध सत्र (2009-12) एवं (2013-16) में राज्य सरकार द्वारा बिना सृजित पदों एवं अपूर्ण अर्हता के Assistant Professor एवं कर्मियों को अनुदान की 9.5 करोड़ रुपये की राशि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सचिव द्वारा अवैध तरीके से वितरण किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाफल आधारित अनुदान संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर दिया जाता है।

9.5 करोड़ रुपये के कथित अवैध वितरण के संबंध में शिकायत-पत्र विश्वविद्यालय को विभागीय पत्रांक 1649, दिनांक 13 नवम्बर, 2025 द्वारा प्रेषित करते हुये आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। ऐसे में विभागीय पत्रांक 127, दिनांक 02 फरवरी, 2026 के द्वारा राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया है।

स्टेडियम का निर्माण

*489. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के पंचायत अमौना के ग्राम-श्याम नगर निमा में 2 एकड़ 90 डी० भूमि पर खेल मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भू-माफियाओं के द्वारा खेल मैदान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे खेल मैदान संकीर्ण होता जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान के भूमि को घेराबंदी कराते हुए स्टेडियम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला +2 विद्यालय खोलना

*490. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के आंजन पंचायत में महिला +2 विद्यालय नहीं होने से गरीब छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उनकी पढ़ाई बीच में छूट जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के आंजन पंचायत में कबतक महिला +2 विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*491. डॉ० सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि उप-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 380, दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के अनुसार हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्राप्त साहित्यालंकार की उपाधि की मान्यता दिनांक 08 अप्रैल, 2016 तक प्रभावी मानते हुए नालन्दा जिला में कनीय शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले में अन्य वरीय शिक्षक जिनकी योग्यता साहित्यालंकार वर्ष 2016 में पूर्व की है फिर भी प्रोन्नति लाभ से वंचित रखने के कारण C.W.J.C. No-15861/2025 के पारित आदेश एवं औपबंधिक वरीयता सूची में नाम रहने के बाद भी अंकित तीनों शिक्षकों श्री राजकुमार सिंह, श्री हरेन्द्र चौधरी, श्री सर्वेश प्रसाद का प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शिक्षकों को कबतक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*492. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखण्ड परैया व गुरारू से सैकड़ों की संख्या में अनुमण्डल टिकारी में अपने निजी व सरकारी कार्य से आए हुए राहगीरों के लिए सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड परैया से टिकारी भाया बालाबिगहा एवं प्रखंड गुरारू से टिकारी भाया अहियापुर पंचानपुर के बीच बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*493. मो० कमरुल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय पोठिया से जिला मुख्यालय किशनगंज तक कोई भी सरकारी बस का परिचालन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रखंड मुख्यालय, पोठिया से जिला मुख्यालय, किशनगंज तक का वाया रतवा, दामलवाड़ी सिंधिया हाट, बेलवा हाट होते हुए सरकारी बस परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन शुरू कराना

*494. श्री रमेश ऋषि (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण एक वर्ष पूर्व हो गया है, लेकिन आजतक उक्त आवासीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं का नामांकन एवं पठन-पाठन कार्य शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त आवासीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं का नामांकन कर पठन-पाठन कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवनों का निर्माण कराना

*495. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय, बैजनाथपुर एवं राजकीय उच्च विद्यालय, एरौत के भवन पूर्णत: जर्जर हो चुके हैं जिसके कारण वहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पठन पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवनों के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*496. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, बैकुंठपुर का वर्ष 2016 में उद्घाटन के क्रम में 300 आसन वाले बालक-बालिका छांत्रावास कार्यशाला एवं ऑडिटोरियम निर्माण कराने की घोषणा की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर अंचल के मौजा मान टेंगरही थाना नं० 381, खाता सं० 24, खेसरा संख्या 122, रकबा 4.16 एकड़ भूमि को ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास ऑडिटोरियम एव कार्यशाला निर्माण हेतु आयुक्त सारण मंडल ने ज्ञापांक 2844, दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को 4.16 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक छात्रावास कार्यशाला एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*497. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरुआ प्रखंड अन्तर्गत पंचायत नगवाँ ग्राम-रक्सा में तीन वार्ड नं० (10,11,12) मिला कर छः (6) टोला है, जिस की कुल आबादी 4000 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत नगवाँ ग्राम-रक्सा जो महादलित बहुलता वाला गाँव है, जिसके बच्चे प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मध्य विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूसरे गाँव में नहीं जाने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गुरुआ प्रखंड अन्तर्गत पंचायत नगवाँ ग्राम-रक्सा में संचालित प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनवाना

*498. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया में पिछले चार वर्षों से निबंधन कार्य हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निबंधन कार्यालय का अपना भवन नहीं है जबकि लौरिया अंचल द्वारा जमीन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित किया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त जमीन पर निबंधन कार्यालय संचालित कराने के लिए भवन बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*499. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अन्तर्गत सुपौल प्रखंड के दियाली भागवत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय अमहा का भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जर्जर भवन तथा चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन पाठन करने में काफी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन के जीर्णोद्धार तथा चहारदीवारी का निर्माण कराकर उक्त सुविधाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रक्रिया प्रारंभ कराना

*500. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप जिले के अंदर शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाना है परंतु पूर्वी चंपारण जिला में अभीतक ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चंपारण जिले में ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*501. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनियां विधान सभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार मोहनियां विधान सभा में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*502. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, रंगरा की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं की आवाजाही रहा करता है, जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार मध्य विद्यालय, रंगरा की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय में सन्निहित करना

*503. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दिलारपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, मोदीचक को कटाव के कारण प्राथमिक विद्यालय, कालीगंज बांध में सन्निहित कर दिया गया है, लेकिन उन बच्चों के परिवार मनोहरपुर पंचायत के नया टोला वाणीपुर में रह रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय, मोदीचक को प्राथमिक विद्यालय, वाणीपुर में सन्निहित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*504. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड बोधगया के ग्राम पंचायत कन्हौल के ग्राम-लोहरा की जनसंख्या 500 है एवं ग्राम पंचायत बसाढ़ी के ग्राम-हरिहरपुर की जनसंख्या 550 रहने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम पंचायत कन्हौल के ग्राम-लोहरा एवं ग्राम पंचायत बसाढ़ी के ग्राम-हरिहरपुर में नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण

*505. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर प्रखंड अवस्थित +2 गांधी उच्च विद्यालय, कुतलुपुर जिसमें वर्तमान में 431 की संख्या में नामांकित छात्र हैं, में मात्र 2 कमरों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का पठन-पाठन करवाया जाता है, जिसके कारण छात्र सहित शिक्षकों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि विद्यालय के नाम से पर्याप्त जमीन की उपलब्धता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित विद्यालय में पर्याप्त कमरों के निर्माण सहित चहारदीवारी का भी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*506. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा बाजार में बिहार सरकार के नाम से 2 एकड़ जमीन विद्यालय के नाम से दान स्थानीय लोगों ने दिया है तथा उक्त जमीन के बगल में बिहार सरकार की 3 एकड़ जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना सरकार की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय में उपलब्ध जमीन पर डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*507. श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सासाराम विधान सभा अन्तर्गत करवंदिया पहाड़ में खनन कार्य बंद होने के कारण हजारों स्थानीय मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कराते हुए उक्त पहाड़ पर पुन: वैध खनन कराने हेतु लीज आवंटन की प्रक्रिया शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*508. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु अभीतक विभाग की ओर से भूमि का चयन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण

*509. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर मे अबतक बच्चों एवं युवाओं के खेल कौशल विकास हेतु कोई आधुनिक एवं समेकित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा योग प्रशिक्षण हेतु समर्पित योग भवन की स्थापना नही की गई है, जिसके अभाव में भागलपुर तथा आस-पास के जिलों के बच्चों एवं युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण, प्रतियोगी तैयारी एवं स्वास्थ्यपूरक सुविधाओं के लिए अन्य जिलों/राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी, भागलपुर में अत्याधुनिक, बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स क्लब परिसर एवं योग भवन युक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार

*510. श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिवहरखनी उच्च विद्यालय में सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी शिक्षा ग्रहण किए थे एवं वर्तमान में उस विद्यालय का भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*511. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की सरकार की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरगांबाद जिला के गोह प्रखंड में गांधी मैदान एवं हसपुरा प्रखंड में खेल मैदान में भूमि की उपलब्धता के बाद भी आजतक स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण युवा प्रतिभावन खिलाड़ियों के विकास से वंचित रहना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोह एवं हसनपुरा प्रखण्ड में खिलाड़ियों के हित में कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय की स्थापना

*512. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत बेलागंज प्रखंड कोरमथु पंचायत में कोईयरी बिगहा महादलित टोला में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण सैकड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महादलित टोला मे लगभग 200 परिवार रहते हैं और यहां से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय रहने के कारण महादलित बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोईयरी बिगहा महादलित टोला में एक मध्य विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती करना

*513. डॉ. प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के दाउदनगर प्रखंड अन्तर्गत करमा कला में राजकीय मध्य विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय जिसका डायस कोड-10340107801 में चहारदीवारी, किचेन शेड एवं फर्श पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में वर्णित कार्यों को कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*514. श्री जीवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आबादी के 136 प्रखण्डों में 100-100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें दरभंगा जिला का जाले प्रखण्ड भी सम्मिलित था, जिसका उल्लेख विभागीय संकल्प-1164 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की जनसंख्या पर्याप्त होने के बावजूद अबतक राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं के लिए राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1),(2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं० 1164, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा 136 प्रखंडों में स्वीकृत राजकीय कल्याण छात्रावास (100 आसन) में से 38 वैसे प्रखंडों में, जहाँ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय नहीं है, छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव को प्रत्यार्पित करते हुए सभी जिला मुख्यालयों में ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति बालिका छात्रावास योजना'' अंतर्गत सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

• तदालोक में दरभंगा जिला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) निर्माण की स्वीकृति दी गई है ;

• उक्त के आलोक में दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड में राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*515. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मोरसंड पंचायत में राष्ट्रीय उच्च पथ (एन०एच०) के किनारे राजकीय बुनियादी विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय खपड़ापोस भवन काफी जर्जर है जिससे बरसात के समय भवन के अन्दर पानी टपकता है तथा बुनियादी विद्यालय के भवन में एक और विद्यालय का पठन-पाठन चलता है, जिससे छात्रा-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बुनियादी विद्यालय के खपड़ापोस भवन की जगह आधुनिक भवन चहारदीवारी के साथ बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

बस का परिचालन

*516. सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के घनश्यामपुर प्रखण्ड में रसीयारी भाया अलीनगर, मझौरा, महथौर, पुताई, मनिगाची, दरभंगा होते हुए पटना तक एवं ठेंगहा पुल, बेनीपुर से दरभंगा होते हुए पटना तक प्रमुख मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बस परिचालन की सुविधा नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को पर्यटक एवं धार्मिक स्थल तक जाने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय से लगभग 50 कि०मी० की दूरी होने एवं सीधी सरकारी बस तथा बस अड्डा स्थापित नहीं होने से आमजनों का आवागमन महंगा एवं असुरक्षित बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों अंतर्गत वर्णित स्थानों से राज्य परिवहन की बसें परिचालन कराते हुए बस अड्डा स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज स्थापित करना

*517. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड तथा एकंगरसराय प्रखंड में वर्तमान में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी डिग्री कॉलेज के अभाव में कक्षा 12 के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को या तो उच्च शिक्षा छोड़नी पड़ती है अथवा निजी कॉलेजों की महंगी फीस वहन करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस्लामपुर एवं एकंगरसराय प्रखंड में एक-एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना पर विचार करती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय स्थापित करना

*518. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत स्थित ज्वईनीया हाई स्कूल वर्ष 2025 के बाढ़ में गंगा नदी के कटाव से गंगा में समाहित हो गया है, जिससे उक्त विद्यालय में पठन-पाठन करने वाले छात्र-छात्राओं को अन्यत्र 5 किलोमीटर दूर दूसरे विद्यालय में जाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के कटाव वाले गांव के निकट स्थित गांव में छात्र-छात्रओं के समुचित पठन-पाठन के लिए नया उच्च विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*519. डॉ. कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के बरबीघा में स्थित एस०के०आर० महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में दिक्कतें हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय का भवन भी अपने स्थापनाकाल का बना होने से आज की स्थिति में कमरों की कमी एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुये भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*520. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान से खगड़िया के लिए सरकारी बस का परिचालन नहीं किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रास्ते पर सरकारी बस के परिचालन नहीं होने से आमजनता को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ पर सरकारी बस का परिचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*521. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर मुख्यालय में लगभग 15 वर्ष पूर्व जगजीवन स्टेडियम का निर्माण हुआ था जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम में जल-जमाव होने के कारण खेल-कूद एवं कोई अन्य कार्य नहीं हो पाता है जिस कारण सैकड़ों युवकों को पुलिस में भर्ती हेतु सड़क पर दौड़ने का अभ्यास करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जगजीवन स्टेडियम करगहर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

*522. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़क हादसे (विशेषकर हिट-एंड रन) में मृत्यु होने पर परिवहन विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को 5,00,000 (पाँच लाख) रुपया की मुआवजा राशि दी जाती है एवं आश्रितों के परिजनों को थाना स्तर से सी-4 (C-4) फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सीवान एवं गोपालगंज जिलों सहित अन्य कई जिलों में सड़क हादसे में मृत आश्रितों के द्वारा किये गये 250 से अधिक आवेदन भुगतान हेतु लंबित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सीवान एवं गोपालगंज जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में लम्बित सड़क हादसे में मृतकों के आश्रितों को कबतक मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

*523. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव में एन०टी०पी०सी० जैसे बड़े उपक्रम और औद्योगिक आधार होने के बावजूद यहां के स्थानीय युवाओं के लिये उच्चस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कहलगांव के युवाओं को वैश्विक रोजगार के योग्य बनाने हेतु यहां एक ''आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' (Centre of Excellence) संस्थान जिसमें ए०आई० ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स जैसे नये युग के पाठ्यक्रम संचालित हो, को स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में भागलपुर में 01 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 02 राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान संचालित है । राजकीय पोलिटेक्निक, भागलपुर में उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) के अन्तर्गत Drone Technology के Hub को IIT, पटना के माध्यम से स्थापित कर इनकी पढ़ाई बच्चों को करायी जा रही है । राजकीय पोलिटेक्निक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर में कम्प्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी, फैशन एण्ड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, असैनिक

और राजकीय पोलिटेक्निक, भागलपुर में कम्प्यूटर साईंस, विद्युत् इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, असैनिक, टेक्सटाइल अभियंत्रण एवं भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर साईंस इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, असैनिक, विद्युत् अभियंत्रण की पढ़ाई की जा रही है ।

उक्त के अतिरिक्त विभाग एवं I-hub दिव्य संपर्क, IIT Roorkee से समझौता ज्ञापन (MoU) के आलोक में तीन वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के कुल-12000 छात्र/छात्राओं एवं 300 शिक्षकों ने Emerging areas यथा IoT, Cyber Security, Data Science, 5G Technology इत्यादि पर Online mode में प्रशिक्षण प्राप्त किये ।

Spoken Tutorial IIT, Bombay के माध्यम से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों के छात्र/छात्राओं को Open Source Software यथा Linux, Sci-lab, Q-cad, Python इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

भवन का जीर्णोद्धार

*524. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज नगर स्थित +2 उच्च विद्यालय परिसर में वर्ष 2014 में निर्मित मॉडल स्कूल भवन अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है, दीवारों में दरारें एवं खिड़की-दरवाजे टूटी-फूटी अवस्था में पड़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के जर्जर विद्यालय भवन रहने के कारण विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य बाधित हो गया है तथा सुरक्षा एवं अध्ययन दोनों प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव बनाना

*525. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखंड दुर्गावती एवं रामगढ़ में बस पड़ाव नहीं रहने से आमजनों को कठिनाई होती है, जिसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है जिससे छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने एवं मरीज को अस्पताल पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पर विचार

*526. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में, विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग के युवाओं के बीच, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की लत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों (अधिकतर युवाओं) की असमय मृत्यु हो रही है जिसके कारण मादक पदार्थों का अवैध व्यापार और सेवन एक गंभीर सामाजिक संकट का रूप ले चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसपर रोक लगाने तस्करी

नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने के साथ ही नशे के शिकार गरीब एवं वंचित लोगों के उपचार पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा नशा-विरोधी जागरूकता अभियानों को सशक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार राज्य में 5 अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है तथा इसका कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है । वर्ष 2016 से 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल लगभग 10 लाख केस दर्ज किये गये हैं तथा 4.50 करोड़ ली० शराब की जब्ती की गयी है । साथ-ही-साथ लगभग 16 लाख लोगों को गिरफ्तारी की गयी है एवं 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है ।

विभाग के द्वारा अन्य मादक पदार्थों के विरुद्ध भी सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वर्ष 2016 से 2025 तक कुल लगभग 15800 कि०ग्रा० गांजा अफीम लगभग 240 कि०ग्रा० चरस 3.50 कि०ग्रा० एवं कफ सिरफ लगभग 40,000 ली० जब्त किया गया है ।

पुलिस विभाग में कार्यरत अपर पुलिस महानिदेशक (मद्य निषेध) को राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भी जिम्मेदारी दी गयी है । विभाग एवं पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर नशा के विरुद्ध सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है ।

ज्ञातव्य हो कि नशामुक्ति केन्द्र का संचालन समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के क्रिया कलापों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यमों से (कला जत्था, बैनर-पोस्टर, मैराथन, सोशल मीडिया आदि) भी सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । जागरूकता अभियान के लिये नित्य नये-नये नुस्खों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि समाज को व्यापक रूप से सूखे नशे के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा उससे होने वाले कुप्रभावों से बचा जा सके ।

स्वीकृति देना

*527. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी वन संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक व०स०/ 106/2023-1197, दिनांक 22 सितम्बर, 2025 के द्वारा वन भूमि अपयोजना प्रस्ताव संख्या Fp/BR/Road/446583 /2023 पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना को अनुरोध किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 महीने बाद भी उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण पथ का निर्माण बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य कराना

*528. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् के वार्ड नं०-23 में मात्र एक ही उर्दू मध्य विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उर्दू मध्य विद्यालय में नामांकित 815 छात्र-छात्राएँ है जबकि कमरों की संख्या मात्र 06 है, जबकि कमरा निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उर्दू मध्य विद्यालय, बिक्रमगंज में छात्रों के अनुपात में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*529. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड वारसलीगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जलालपुर में वर्ग नवम की पढ़ाई का शुभारम्भ दिनांक 24 अगस्त, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और मैट्रिक एवं इण्टर की पढ़ाई तथा परीक्षा नियमित हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठेरा जलालपुर का भवन निर्माण हेतु मौजा-ठेरा, थाना संख्या-530, खाता-596, खेसरा-1385, रकबा-90 डीसमील जमीन उपलब्ध है जिसकी निविदा BSEIDC पटना से NIT No. 28/2025-26 आमंत्रित की गयी थी, परन्तु निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठेरा जलालपुर का भवन निर्माण खंड (2) में वर्णित स्थल पर करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*530. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत खुशरूपुर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्रा-छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार खुशरूपुर में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

शैक्षणिक भवन का निर्माण

*531. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय शहर में स्थित एकमात्र एस० के० महिला महाविद्यालय जिसकी स्थापना 1958 में की गई थीं, परन्तु आज यह संस्थान अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिये संघर्ष कर रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में नामांकित 12,000 छात्राओं के लिये मात्र 12 वर्ग कक्ष और 19 नियमित शिक्षक, 9 अतिथि शिक्षक ही उपलब्ध है एवं पर्याप्त सफाई कर्मी न होने से परिसर और शौचालय में गंदगी के कारण छात्राओं का शैक्षणिक भविष्य और स्वास्थ्य दोनों संकट में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों एवं स्वास्थ्य को देखते हुये सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने के साथ छात्राओं की संख्या के अनुपात में नये शैक्षणिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारंभ कराना

*532. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के अयोध्या प्रसाद सिंह स्मारक महाविद्यालय, बरौनी में वाणिज्य स्नातक एवं स्नातक के गृह विज्ञान, भूगोल एवं समाजशास्त्र के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में वर्णित विषयों की पढ़ाई कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*533. श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत रानीगंज प्रखंड में 300 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वृक्ष वाटिका, जो बिहार राज्य की सबसे बड़ी वृक्ष वाटिका है, में अजगर, साँप एवं वन्य पशु-पक्षी कई बार परिसर से बाहर निकल कर ग्रामीण को हानि पहुँचाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वृक्ष वाटिका को सरकार द्वारा चिड़ियाघर (जूलॉजिकल पार्क) के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रानीगंज प्रखंड में 300 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वृक्ष वाटिका को चिड़ियाघर (जूलॉजिकल पार्क) के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विकसित करना

*534. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि क्रीड़ा-संस्कृति के विकास के लिये खेल मैदान होना आवश्यक है परंतु मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड में कोई खेल मैदान नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुशहरी प्रखंड के खबड़ा पंचायत में खाली पड़ी BHEL कॉलोनी की खेसरा नंबर 1098, 1099,1091, 1092, 1111 को खेल मैदान के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी नियुक्ति की जांच

*535. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी में चौपाल टोला, वार्ड संख्या-02 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-191 पर कार्यरत सेविका का संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जाँचोपरान्त फर्जी पाये जाने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द हो गई थी, किन्तु पुनः वह सेविका उसी केन्द्र पर कार्यरत हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी पुनः जाँचकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण कराना

*536. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, पैठनिया का भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*537. श्री चेतन आनंद (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन हेतु दूर जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवीनगर प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*538. श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के राजपुर प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत खरहना के ग्राम-सिताबपुर में खेल स्टेडियम अवस्थित नहीं है, जिससे ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा का विकास बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*539. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने डिग्री कॉलेज विहीन राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए सोने लाल महतो +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोरला एवं कुंजो शांति +2 उच्च विद्यालय, रमौली (तमुरिया) में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की अनुशंसा दोनों प्रबंध समितियों ने कर दी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों में से किसी एक उपर्युक्त स्थान पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण रोकना

*540. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला स्थित सुधा डेयरी प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के 5 एकड़ भूमि में फैलकर जमा हो गया है जिससे लीची का बगान सूखने के साथ-साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी को साफ कर नाला के माध्यम से निकट के बूढ़ी गंडक नदी में गिराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कार्य

*541. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत पताही प्रखंड में बेतौना पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, बेतौना परतीटोला भवन के अभाव में सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं सहित शिक्षकों को विद्यालय भवन नहीं होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विद्यालय के पास अपनी भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिक विद्यालय, बेतौना परती टोला का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*542. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ प्रखण्ड में बिहारी बिगहा पंचायत के बिहारी बिगहा ग्राम में अवस्थित 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा मैदान सहित चहारदीवारी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण सहित मैदान की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनाना

*543. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय शिवगंज टोला, खरीक बाजार में स्व0 रास बिहारी पोद्दार द्वारा विद्यालय भवन बनाने हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन दान में दी गई है, परन्तु भवन का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार स्व० रास बिहारी पोद्दार द्वारा उपलब्ध कराई गयी जमीन पर विद्यालय भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*544. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी प्रखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरिपुरमादी है, जिसका भवन निर्माण 7 वर्ष पूर्व संपर्क विहिन स्थल पर किया गया था जिसमें कक्षा का संचालन कार्य अबतक प्रारम्भ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन के अभाव में मध्य विद्यालय के पुराने जर्जर भवन में वर्ग संचालित किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय को उक्त नवनिर्मित भवन में कबतक संचालन प्रारम्भ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण

*545. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, माधोपुर कापन, वार्ड-06 के महादलित बस्ती में स्थित छोटे से सामुदायिक भवन में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के पास तीन कट्ठा जमीन उपलब्ध है, जिसमें सर्व-शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त भवन निर्माण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा टेंडर भी निकाला गया इसके बावजूद विद्यालय भवन का निर्माण लम्बित है, जिसके कारण विद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*546. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत ताजपुर उच्च विद्यालय के खेल मैदान की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण यहां असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का बमावड़ा लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खेल मैदान के विकसित नहीं होने के कारण विद्यालय के छात्र-छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा विकसित करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त मैदान की घेराबंदी एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

मॉर्डन विद्यालय बनाना

*547. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के जय गोविंद उच्च विद्यालय, दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंड के के० पी० एस० पी० उच्च विद्यालय, गंगाजल को मॉर्डन विद्यालय बनाने हेतु जिला स्तर पर चयनित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को मॉर्डन विद्यालय चहारदीवारी सहित बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा एवं चहारदीवारी निर्माण कराना

*548. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के सुन्दरबाड़ी पंचायत में मदरसा महबूबिया, सुन्दरबाड़ी का भवन जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मदरसा के लिये दो अतिरिक्त कमरा एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनानुदान का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

अनुदानित मदरसों की आधारभूत संरचना निर्माण कराने की जिम्मेदारी मदरसा प्रबंध समिति की है। मदरसा में आधारभूत निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराने का कोई नियम या प्रावधान नहीं है।

अत: प्रश्नगत मदरसा में दो अतिरिक्त कमरा एवं चहारदीवारी निर्माण कराये जाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग, बिहार अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

भवन का निर्माण

*549. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखंड के पंचायत पारथु के ग्राम शहवाजपुर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, शहवाजपुर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन जर्जर है, जिसके निर्माण कार्य वर्ष 2019-20 में हुआ था परंतु बीच में ही इस कार्य को रोक दिया गया है, जो अबतक पूर्ण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*550. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर में अवस्थित मुंशी सिंह

महाविद्यालय में बड़ा खेल मैदान स्थित है जिसके विकास हेतु विभागीय स्तर से प्राक्कलन वर्ष 2024-25 में तैयार हुआ था, साथ ही खेल भवन का रख-रखाव सही नहीं रहने के कारण आम खिलाड़ियों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खेल मैदान में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराते हुये खेल भवन के रख-रखाव कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*551. श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या-02 रामनगर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड में एक भी खेल स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में खेल स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*552. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव प्रखंड के एगडारा पंचायत के ग्राम पशुराम चक में स्थित मध्य विद्यालय है, जिसमें 250 से अधिक छात्र-छात्राएं पठन-पाठन कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मध्य विद्यालय के चार कमरे में दो कमरा कक्ष जर्जर एवं दो कमरा में 250 से अधिक छात्र-छात्राएं पठन-पाठन कर रहे हैं जिसके कारण सभी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दो कमरों की मरम्मती सहित छात्रों के अनुपात में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*553. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मान्यताप्राप्त अनुदान प्राप्त करने वाले 3587 मदरसा हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मान्यताप्राप्त मदरसों में जिन्हें वस्तानिया ग्रेड से फौकानिया ग्रेड तथा फौकानिया ग्रेड से मौलवी ग्रेड तक उत्क्रमिक किया गया, उक्त मदरसों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी विद्यालय की तरह अभी तक नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उत्क्रमित मदरसों में छात्र/छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी विद्यालयों की तरह कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों की कुल संख्या 1942 है।

ये मदरसा निजी प्रबंध समिति द्वारा संचालित होती है। इनमें विहित प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्ति मदरसा के प्रबंध समिति के द्वारा की जाती है तथा इनके नियुक्ति का अनुमोदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मदरसा में मानक मंडल के अन्तर्गत नियुक्त एवं अनुमोदित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि मद में भुगतान हेतु अनुदान दिया जाता है।

राज्य के विभिन्न जिलों में सम्बद्ध एवं संचालित मदरसों का उत्क्रमण बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर छात्र-छात्राओं के हित में मदरसों के प्रबंध समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा वित्त रहित उत्क्रमण किया जाता है, ताकि छात्र/छात्राएं अपने ही क्षेत्र में सहजपूर्वक उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्चस्तरीय शिक्षकों की व्यवस्था संबंधित मदरसा की प्रबंध समिति द्वारा ही किया जाता है।

विद्यालय भवन का निर्माण

*554. श्री राधाचरण साह (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला आरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत राजकीय संस्कृत विद्यालय, मझौका का भवन जर्जर होकर ध्वस्त हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*555. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली प्रखंड स्थित +2 धर्मपुर गाँधी उच्च विद्यालय, कृष्ण नगर नरैहिया संचालित है, परंतु डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिए 40-50 कि0मी0 की दूरी पर स्थित डिग्री कॉलेज में नामांकन कराना पड़ता है, जबकि उक्त विद्यालय डिग्री कॉलेज बनने की सभी अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उच्च विद्यालय को डिग्री कॉलेज में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*556. श्री रामेश्वर कुमार महतो (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड बाजपट्टी अंतर्गत नोपानी उच्च विद्यालय का खेल मैदान पूरे प्रखंड का एकमात्र खेल मैदान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड अंतर्गत नोपानी उच्च विद्यालय के खेल मैदान में बराबर सभी खेलों का आयोजन होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के प्रखंड बाजपट्टी अंतर्गत नोपानी उच्च विद्यायल के खेल मैदान को विकसित कर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान का निर्माण

*557. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड के सरसी पिपरदाहां पंचायत में खाता संख्या 188, प्लॉट संख्या 348 की सरकारी भूमि को स्थानीय युवाओं द्वारा लम्बे समय से खेल मैदान के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि का अन्य सरकारी कार्यों में उपयोग के बावजूद अभी भी खेल मैदान हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बची भूमि पर खेल का मैदान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*558. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मटियारी पंचायत में स्थित ''विराट सरोवर संस्कृत महाविद्यालय'' लगभग 50 वर्षों तक नियमित रूप से संचालित रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय के बंद हो जाने से क्षेत्र के संस्कृत अध्ययन में रूचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है तथा विद्यार्थियों को दूर-दराज के संस्थानों में जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मटियारी पंचायत में स्थित विराट सरोवर संस्कृत महाविद्यालय को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कक्षा का निर्माण

*559. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड स्थित सपही वृतियां महादलित बस्ती में अवस्थित सपही वृतियाँ मुशहरी टोला वार्ड नंबर 3 में कक्ष की संख्या 3 है जबकि छात्र-छात्राओं की संख्या 250 के करीब है जिससे कक्षा संचालित करने में काफी कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में पर्याप्त वर्ग कक्ष के साथ किचन् शेड का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराना

*560. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण, अंतर्गत प्रखंड सुगौली में कोई तकनीकी संस्थान नहीं है, जबकि मौजा सुकुल पाकड थाना नं0 34, अंचल सुगौली खाता नं0 02, खेसरा नं0 2012, रकबा 15 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो नेशनल हाइवे 527 डी0 से जुड़ा हुआ है एवं यह स्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने के लिए सभी अर्हता पूरी करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित स्थल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*561. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड पिपरासी के पंचायत सौराहा (सुगौली) क्षेत्र में गंडक नदी तट पर बड़े पैमाने पर बालू खनन किया जा रहा है, जिसके कारण नदी के तट का कटाव होता है और बांध टूटने से आयी बाढ़ से निचले इलाकों में जान-माल का खतरा बना रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गंडक बांध पर बने सर्विस रोड पर वाहन क्षमता मात्र 09 टन है, किन्तु यहाँ 40 टन तक के भारी वाहनों से माफिया एवं पदाधिकारियों की मिली भगत से बालू ढुलाई की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त गंडक नदी तट से बालू खनन पर रोक लगाते हुए पदाधिकारी/कर्मी को दंडित कर गंडक बांध की निगरानी हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं वाणिज्य विषय का अध्यापन

*562. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डेहरी स्थित महिला महाविद्यालय में अभीतक विज्ञान एवं वाणिज्य विषय का अध्यापन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में परीक्षा भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्यापन का कार्य प्रारंभ कराने के साथ महाविद्यालय में नया परीक्षा भवन (500 सीट क्षमता वाले) कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों की कमी

*563. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ सहित राज्य भर मे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बंगला भाषा की पाठ्य-पुस्तकों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है जिससे बंगला भाषी छात्र-छात्राओं को शिक्षकों एवं पाठ्य-पुस्तकों के अभाव में पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार बंगला भाषा की पाठ्य-पुस्तकों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड शिफ्ट करना

*564. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय का बस स्टैंड वर्तमान में बीच शहर में संचालित होने के कारण शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मरीजों सहित आमजनों को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस स्टैंड को मुख्य शहर से बाहर के इलाके में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय स्थापित करना

*565. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में गोपालगंज तथा बेतिया जिलों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है एवं दोनों जिलों के डिग्री महाविद्यालय क्रमशः जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा तथा बी0आर0 अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधीन है, जिसकी दूरी दोनों जिलों से 100 कि0मी0 से भी अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों जिलों में संबंधित विश्वविद्यालय की कोई शाखा नहीं है एवं छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय संबंधित कार्यों के लिए 100 कि0मी0 से भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों जिलों गोपालगंज तथा बेतिया में नया विश्वविद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

+2 आवासीय विद्यालय की स्थापना

*566. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के चेनारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चेरानी एवं शिवसागर प्रखंड में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विधार्थियों हेतु +2 आवासीय विद्यालय नहीं है, जिसके चलते अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में अनुसूचित जाति/जनजाति +2 आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--● विभागीय संकल्प सं0 1165, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 50000 से अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रखंडों में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है।

● वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला अंतर्गत चेनारी विधान सभा के चेनारी एवं शिवसागर प्रखंडों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी क्रमशः 35271 एवं 1088 तथा 40118 एवं 1962 है, जो अर्हता के अंतर्गत नहीं है।

अतएव प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विद्यालय भवन का निर्माण

*567. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उक्त विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्र-छात्राओं की संख्या 254 है, विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने से पठन-पाठन एवं विद्यालय संचालन में कठिनाइयाँ हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर में नया विद्यालय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना

*568. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कन्या उच्च विद्यालय नहीं है जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं को प्रखंड बाराचट्टी, बोधगया या शेरघाटी स्थित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है जिसके कारण छात्राओं के साथ-साथ उनके परिजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक डोभी प्रखंड में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*569. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज और मदनपुर जैसे बड़े प्रखंडों में राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को 30-40 कि0मी0 दूर औरंगाबाद या गयाजी जाना पड़ता है, जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में कबतक राजकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना

*570. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड कोंच में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने से अठारह पंचायतों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु सुदूरवर्ती स्थानों से 20 से 25 कि0मी0 की दूरी तय कर जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यो ?

आई0टी0आई0 कॉलेज खोलना

*571. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखंड पोठिया की 3.50 लाख की जनसंख्या में कोई भी सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना नहीं किया गया है जिस कारण तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रखंड पोठिया में आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना था। राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना की गई है।

उल्लेखनीय है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड किशनगंज अनुमंडल में पड़ता है। किशनगंज अनुमंडल के ठाकुरगंज प्रखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज एवं जिला मुख्यालय में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किशनगंज स्थापित है।

किशनगंज जिलान्तर्गत कुल 2 (दो) सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जो निम्नवत है :--

क्र0सं0	संस्थान का नाम	अनुमंडल का नाम
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज	किशनगंज
2	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज	जिला मुख्यालय

उपर्युक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अनुमंडल के पोठिया प्रखंड सहित सभी प्रखंडों के चयनित युवक/युवती तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान में उपर्युक्त के अतिरिक्त किशनगंज जिलान्तर्गत कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*572. श्री रमेश ऋषि (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कराया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखंड एवं सिंहेश्वर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय निर्मित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में एक-एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय पर्व का दर्जा दिलाना

*573. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसडा)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर प्रखंड के करियन ग्राम में जन्मे विश्व-प्रसिद्ध न्याय विधान के दार्शनिक शंकराचार्य के समयकालीन प्रकांड विद्वान एवं महान उदयनाचार्य जयंती गंगा-दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त में वर्णित जयंती को राजकीय पर्व का दर्जा देते हुये विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा पत्रांक 176, कला, दिनांक 14 जुलाई, 2025 के माध्यम से विभाग को भेजा जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उदयनाचार्य जी जयंती को राजकीय पर्व का दर्जा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति करना

*574. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरौली में लगभग 6,000 छात्र नामांकित है, जबकि वहां शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले मात्र 15 शिक्षक ही कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में एक भी विज्ञान (Science) शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हजारों छात्रों का भविष्य और प्रयोगशाला कार्य बाधित हो रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर कई बार जिला के पदाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, किंतु अबतक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शैक्षणिक सत्र 2026 में छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने और तत्काल विज्ञान शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पी०एम०श्री० उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरौली में कुल 4674 बच्चे नामांकित है। उक्त विद्यालय में वर्ग 09-12 में कुल 16 शिक्षक एवं वर्ग 06-08 में एक शिक्षक पदस्थापित हैं।

(2) एवं (3) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के वर्ग 09-10 में विज्ञान के 02 एवं वर्ग 11-12 में जन्तु विज्ञान के एक शिक्षक पदस्थापित हैं। वर्ग 11-12 में भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के शिक्षक पदस्थापित नहीं है। वर्ग 09-10 के विज्ञान शिक्षकों द्वारा वर्ग 11-12 का वर्ग

संचालन के साथ के प्रायोगिक कक्षाओं का वर्ग संचालन किया जाता है। अगले नियुक्ति/स्थानान्तरण संव्यवहार के दौरान उक्त विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया की जायेगी।

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*575. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रौना ग्राम-कमेशरनगर जिसमें महादलितों की आबादी लगभग 500 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत रौना ग्राम-कमेशरनगर में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छात्र/छात्रायें अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर शंकर बिगहा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुरारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रौना ग्राम-कमेशरनगर जिसमें महादलितों के बच्चों के पठन-पाठन हेतु एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

रात्री प्रहरी बहाल करना

*576. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत क्रमशः बलुआ (प्रखंड योगापट्टी) तथा मरहिया (प्रखंड लौरिया) में मॉडल हाई स्कूल भवन बनकर तैयार होने के आठ वर्ष बाद भी पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, जबकि उक्त दोनों भवन रख-रखाव की कमी के कारण खराब हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों भवनों में रात्रि प्रहरी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय भवन को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में रात्रि प्रहरी बहाल करते हुये तथा छात्रों के पठन-पाठन का कार्य कब से शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*577. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पं० मेहासिमर के प्रा०वि० मुसहरी टोला का भवन जर्जर है, जिससे पढ़ाई-लिखाई का कार्य करने में शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला पर्यवेक्षिका का पदस्थापन

*578. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, केसरिया में एक ही महिला पर्यवेक्षिका पदस्थापित है जिसके कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया में अतिरिक्त चार महिला पर्यवेक्षिकाओं का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*579. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड अन्तर्गत 519 टोला, इस्माइलपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी निर्माण नहीं होने के कारण अभी मध्य विद्यालय, 519 टोला, इस्माइलपुर के परिसर में उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय का पठन-पाठन चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक ही परिसर में दो-दो विद्यालय का पठन-पाठन एवं चहारदीवारी नहीं होने से छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, 519 टोला, इस्माइलपुर का अपना भवन एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराना

*580. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत साहेबनगर पंचायत के बांध टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*581. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड फतेहपुर के ग्राम पंचायत नौडीहा झुरांग के ग्राम-बड़गांव की जनसंख्या 1500 एवं ग्राम-भलुआनी की जनसंख्या 600 रहने के बावजूद भी प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम-बड़गांव एवं ग्राम-भलुआनी में नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण कराना

*582. श्री कुमार प्रणय (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय जमीन डोगरी मुंगेर जिसमें वर्तमान में 347 छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं का अपना विद्यालय भवन नहीं होने के कारण विद्यालय का संचालन निजी मकान के सामने फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर के नीचे खुले में किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों सहित छोटे-छोटे बच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण प्रयोजनार्थ भूमि को अधिग्रहण कर निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*583. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत कोइरिया पीपरा, उच्च विद्यालय के जमीन पर स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत कोइरिया पीपरा, उच्च विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कौशल विकास केंद्र खोलना

*584. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला अंतर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में एक भी रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित नहीं रहने के कारण इंटरमीडिएट (+2) के बाद छात्र-छात्राएँ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने के लिए इच्छुक होने के बावजूद सुविधा नहीं रहने के कारण वंचित रह जाते है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में अमौर प्रखंड में तीन कुशल युवा केन्द्र एवं बैसा प्रखंड में दो कुशल युवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

विकसित करना

*585. श्री रोहित पाण्डे (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर स्थित वन विभाग के अधीन सुंदरवन एशिया का एकमात्र गरुड़ पुनर्वास-सह-अस्पताल है तथा सुल्तानगंज से कहलगाँव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र को डॉल्फिन सेंचुरी घोषित किया गया है जो एक महत्वपूर्ण जैव-विविधता केंद्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन स्थलों के संरक्षण सौंदर्यीकरण गरुड़ अस्पताल के विकास तथा इसे आमजन हेतु पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना अबतक प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई है तथा वृक्षारोपण में स्थानीय जैव-विविधता अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन स्थलों के संरक्षण सौंदर्यीकरण गरुड़ अस्पताल के विकास तथा इसे आमजन हेतु पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*586. श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र में इंडोर या आउटडोर स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शिवहरबनी उच्च विद्यालय के खेल मैदान में इंडोर या आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*587. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड अन्तर्गत दादर गाँव (दादर पंचायत) में कोर्णाक (ओडिसा) के सूर्य मंदिर की तरह एक सूर्य स्तम्भ तालाब में स्थिति है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पोखर के किनारे एक प्राचीन ऐतिहासिक टूटा अवशेष पड़ा है जो हजारों वर्ष पुराना माना जाता है जिसका संरक्षण नहीं होने से इसकी पहचान विलुप्त हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सूर्य स्तंभ एवं तालाब की पुरातात्त्विक जाँच कराते हुए उसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि

हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक 224, दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तालाब में स्थित स्तम्भ ग्रेनाईट प्रस्तर की बनी है। जिसका स्वरूप एवं नक्काशी कोणार्क सूर्य मंदिर में लगे स्तम्भ के समरूप प्रतीत नहीं होता है।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक 224, दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोखर के किनारे स्तम्भ का टूटा अवशेष अपने मूल स्वरूप में पड़ा है। जिसकी हजारों वर्ष पुराने होने की पुष्टि कार्बन डेटिंग इत्यादि वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है।

(3) जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 223, दिनांक 29 जनवरी, 2026 के द्वारा जाँच हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

महाविद्यालय की स्थापना

*588. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की घोषणा के बावजूद गयाजी जिला अंतर्गत बेलागंज विधान सभा क्षेत्र के बेलागंज प्रखंड में अबतक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय आर्थिक रूप से कमजोर गरीब एवं दलित परिवारों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु 45-50 कि०मी० दूरी तय करने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर अधिकांश छात्र-छात्राएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेलागंज प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय की स्थापना

*589. डॉ० प्रकाश चन्द्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के दाउदनगर अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना नहीं करायी गयी है, जिससे छात्र-छात्राओं को अन्य स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना

*590. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) में गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभिन्न प्रमंडलों में उक्त पद के रिक्त पड़े रहने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उक्त पद पर मनोनित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*591. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण करना सरकार की

योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी खेल स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र प्रत्येक प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

+2 बालिका उच्च विद्यालय स्थापित कराना

*592. श्री राकेश रंजन (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखंड के परसौंडा, ईश्वरपुरा एवं खुटहा पंचायत में (+2) बालिका उच्च विद्यालय एक भी नहीं है, जिसके कारण उक्त तीनों पंचायत के (+2) के बालिकाओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार करनामेपुर स्थित उच्च विद्यालय में +2 बालिका उच्च विद्यालय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*593. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि जब से आर०टी०ई० लागू हुआ है तब से बिहार के निजी विद्यालयों के द्वारा 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन लेने के बावजूद सरकार के द्वारा बरबीघा स्थित निजी विद्यालयों को आधा अधूरा भुगतान हुआ है और कुछ का भुगतान लम्बे समय से लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आर०टी०ई० के तहत नामांकित बच्चों के एवज में सरकार द्वारा भुगतान नहीं करने एवं आधे-अधूरे करने से निजी विद्यालयों की वित्तीय स्थिति खराब होने से संचालन पर दुष्प्रभाव पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर०टी०ई० के तहत निजी विद्यालयों के बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*594. श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र संख्या-78 कुशेश्वरस्थान)--क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के कुशेवरस्थान प्रखंड के कुशेश्वरस्थान में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुयी है और राजकीय महोत्सव का दर्जा मिल जाने से यहां भव्य स्तर के आयोजन होने में आसानी होगी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुशेश्वरस्थान में राजकीय महोत्सव का आयोजन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 10 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० 19 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी० -550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026